राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141–2399335, 2399336 ई मेल– ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ 20(8) (2)बा.अ.वि./ICPS/बा.क.स./गठन एवं संचालन/16/42921 जयपुर दिनांकः 15/11/16

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिलें में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जॉच एवं निपटान हेतु एक या अधिक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं 1 बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक बाल कल्याण समिति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार है:–

1. किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति, कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी संबंधी कार्यकलापों में सकिय रूप से अन्तर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान या मनोविकृति–विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।
2. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति ,जांच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदिः–

   a) वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरूपयोग का दोषी पाया गया हो,
   b) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमता प्रदान नहीं की गई है,
   c) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन–चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार है:–

i. समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की आवेदन के समय आयु 35 वर्ष से कम न होगी।

ii. बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत/अनुभव रखने वाले व्यक्ति के पास किसी क्षेत्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।

iii. वह किसी विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (एस.ए.ए.) से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

इस क्रम में राज्य के बाडमेर (2–सदस्य के रिक्त पद हेतु), जालोर (1–सदस्य के रिक्त पद हेतु) तथा अजमेर (1–अध्यक्ष के रिक्त पद हेतु) **जिले** की बाल कल्याण समिति में रिक्त पद भरने हेतु चयन किया जाना है। बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष/सदस्यों का चयन अधिकतम 3 वर्ष अथवा रिक्त समय के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अतः बाल कल्याण समिति अध्यक्ष/सदस्यों के पदों के विरूद्व मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 12.12..2016 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in, www.dcrraj.in से प्राप्त किए जा सकते है एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

(एन.एल.मीना)

आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव

क्रमांकः एफ 20(8) (2)बा.अ.वि./ICPS/बा.क.स./गठन एवं संचालन/16/ 42922-992 जयपुर दिनांकः 15/1/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
2. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. सहायक निदेशक/प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई ————————— को प्रेषित कर निवेदन है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन विशेष वाहक द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, की अभिशंषा/अग्रेषण पत्र सहित दिनांक 22.12.2016 तक विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन अभ्यर्थी हो ताकि चयन समिति के समक्ष योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विकल्प उपलबध रहे।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ——————।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक
10. न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय बेवसाइट पर प्रर्दशनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव